

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 18/2020

निर्णय दिनांक —10.06.2020

1. श्री भैरूलाल पिता चांदमल राजोरा जाति तेली आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

— प्रार्थी

// बनाम //

1. श्री बाबुलाल पिता देवा जाति हरिजन उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
2. श्री बलवीर सिंह पिता सज्जन सिंह नाहर जाति जैन उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
3. नगरपालिका निम्बाहेडा जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
4. श्री उदयलाल पिता जगन्नाथ जाति चमार उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
5. श्री छगनलाल पिता जगन्नाथ जाति चमार उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
6. श्री रोशनलाल पिता जगन्नाथ जाति चमार उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा कासोद पटवार हल्का निम्बाहेडा बी तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 6 की आराजी नं0 123 रकबा 0.2300 हेक्टेयर आराजी नं0 124 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, आराजी नं0 131 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, खाता सं0 8 की आराजी नं0 127 रकबा 0.4500 हेक्टेयर खाता सं0 137 की आराजी नं0 128 रकबा 0.1600 हेक्टेयर आराजी नं0 764/129 रकबा 0.05 हेक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा कासोद पटवार हल्का निम्बाहेडा बी तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 6 की आराजी नं0 123 रकबा 0.2300 हेक्टेयर आराजी नं0 124 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, आराजी नं0 131 रकबा 0.1400 हेक्टेयर खाता सं0 8 की आराजी नं0 127 रकबा 0.4500 हेक्टेयर खाता सं0 137 की आराजी नं0 128 रकबा 0.1600 हेक्टेयर आराजी नं0 764/129 रकबा 0.05 हेक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

